

छत्तीरागढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग

॥ मंत्रालय ॥

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,  
जिला—रायपुर

— — ० — —

क्रमांक एफ ३-५६ / २०२२ / ३८-१  
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक १६ / ०९ / २०२२

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
इंद्रावती भवन,  
नवा रायपुर, अटल नगर  
रायपुर (छ.ग.)

**विषय :-** प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2022-23 के लिये प्रवेश मार्गदर्शिका के कंडिका 3.1 के अनुसार निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि हेतु रवीकृति प्रदान करने वाले।

राज्य शासन, एतद् द्वारा, राज्य में संचालित शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2022-23 में प्रवेश मार्ग-दर्शिका की कंडिका 3.1 के अनुसार निर्धारित सीट संख्या में निम्नानुसार सीट वृद्धि करने की अनुमति दी जाती है :-

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/संकाय/विषय का नाम	प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में निर्धारित सीट संख्या	वृद्धि हेतु मान्य सीट संख्या	सीट वृद्धि उपरांत निर्धारित कुल सीट संख्या
1	2 शासकीय रवामी विवेकानंद महाविद्यालय, वोडला, जिला कर्वीरधाम	3 एम.ए. समाजशास्त्र	4 30	5 10	6 40
2	शासकीय शहीद गैंद रिंह महाविद्यालय, चारामा जिला कांकेर	एम.एस.री. वनरपतिशास्त्र एम.कॉम	40 45	10 20	50 65
3	शासकीय वद्री प्रराद लोधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आरंग, जिला रायपुर	बी.ए. बी.एस.री. जीवविज्ञान एम.ए. राजनीतिविज्ञान एम.ए.अर्थशास्त्र एम.एस.री. प्राणीशास्त्र पी.जी.डी.सी.ए. (स्चवित्तीय)	350 190 50 30 45 70	50 10 10 20 5 10	400 200 60 50 50 80

उपरोक्त शासकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु सीट वृद्धि की अनुमति दी जावेगी : -

1. शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक आदि की व्यवस्था संरक्षा को स्वयं करनी होगी।
2. फर्नीचरं तथा उपकरण कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था संरक्षा को अपने स्वयं के स्त्रोतों से बहन करना पड़ेगा।
3. भविष्य में किसी भी प्रकार का आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय हेतु कोई अनुदान नहीं दिया जावेगा।
4. प्राचार्य द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से सीट वृद्धि उपरांत निर्धारित कुल सीट संख्या अनुसार संवंद्धता प्राप्त किया जावेगा।
5. यह सीट वृद्धि का प्रस्ताव शैक्षणिक सत्र 2022-23 से प्रभावशील रहेगा।

8  
( आर.ए.गिर्मलकर )  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठमांक एफ 3-56 / 2022 / 38-1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक / 09 / 2022

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय की ओर सूचनार्थ प्रेपित।
2. कलेक्टर, जिला— ..... (छ.ग.)
3. संबंधित प्राचार्य, .....  
..... की ओर सूचनार्थ प्रेपित,
4. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग